

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 30 / 6 / 2008

संख्या— २१२-५८०४-११३०(२) ..... पटना, दिनांक ..... वर्तमान  
पदस्थापन के जिला में लगभग पाँच साल तक पदस्थापित रहने के कारण निम्नांकित चिकित्सकों  
के नाम के समक्ष अंकित स्तम्भ— ४ में अंकित जिलान्तरित स्थानान्तरित करते हुए पदस्थापित  
किया जाता है :—

क्रम	चिपदा० का नाम	मधेपुरा जिला	मधुविति
1	डा० किशोर कुमार मधुप	सुपौल	पूर्णियॉ
2	डा० (श्रीमती) प्रतीमा ईसरार	समरस्तीपुर	सारण
3	डा० (श्रीमती) किरण कुमारी	पटना	सारण
4	डा० शीलवत सिंह	पटना	सारण
5	डा० अमय प्रसाद	पटना	सारण
6	डा० सूर्य प्रकाश झा	खगड़िया	पूर्णियॉ
7	डा० गणेश प्रसाद मंडल	दुमका	पूर्णियॉ
8	डा० जयप्रकाश सिंह	भागलपुर	पूर्णियॉ

सं४

सं४

9	डा० शशि भूषण यादव	पूर्णियाँ	मधेपुरा
10	डा० (श्रीमती) साधना सिंह	मुजफ्फरपुर	मधुबनी
11	डा० भिथिलेश्वर प्रसाद सिंह	सारण	दरभंगा
12	डा० अरविन्द कुमार	सहरसा	मधुबनी
13	डा० पुरुषोत्तम नारायण सिंह	सीवान	दरभंगा
14	डा० सादीक आजग	अप्राप्त	पूर्णियाँ
15	डा० राजेश किशोर साहू	पटना	भोजपुर
16	डा० पी० के० मल्लिक	सुपौल	मधेपुरा
17	डा० महेन्द्र कुमार	नवादा	भोजपुर


2. जिन चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवाओं जिलों को सौंपी गयी हैं उनका पदस्थापन उस जिला में प्रमण्डलीय आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति करेंगी।

3. सभी स्थानान्तरित चिकित्सक अपने पदस्थापन से सम्बन्धित जिले में योगदान करेंगे। तत्पश्चात् असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से जिले के अन्तर्गत पदस्थापन के स्थान की अधिसूचना प्राप्त करेंगे और अधिसूचित स्थान पर योगदान करेंगे। अगर चिकित्सक के नाम की रेपेलिंग गलत हो तो असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी रेपेलिंग सुधार हेतु मुख्यालय को पत्र लिखेंगे लेकिन सुधार के लिए प्रतीक्षा न कर अधिसूचित स्थान पर योगदान देने का निर्देश असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अपने स्तर ही दें देंगे।

4. निलम्बन/न्यायालय के अन्यथा आदेश की स्थिति से सम्बन्धित चिकित्सा पदाधिकारी पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

5. सभी संबंधित नियंत्री पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि स्थानान्तरित चिकित्सा पदाधिकारियों को शीघ्र स्थानान्तरित स्थान पर योगदान करने हेतु निश्चित रूप से विरमित कर देंगे।

6. संबंधित प्रमंडलीय आयुक्तों से अनुरोध होगा कि पदस्थापन के जिले के अन्तर्गत रिकितयों पर योग्यता एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पदस्थापन करें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से  
  
(डा० प्रमोद कुमार)  
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक - २१३-५५०८ - ११३०२)

पटना, दिनांक ३०.६.०८


प्रतिलिपि — महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, पन्त भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि — अधीक्षक, राजकीय प्रेस, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि — सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ / सभी संबंधित सिविल सर्जन / सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी / उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि — प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग / महानीरीक्षक अभियोजन, बिहार, पटना / सभी संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि — माननीय मंत्री, स्वास्थ्य/राज्य मंत्री के आप सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के सचिव / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ के निजी सहायक / विभाग के सभी पदाधिकारी / उप सचिव के निजी सहायक / विभागीय प्रशास्त्रा पदाधिकारी, २/३/९ एवं कम्बूटर कोषांग को सूचनार्थ प्रेषित।

  
सरकार के उप सचिव।

ग्रन्थी